न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष– आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 469–तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 4.2.2014 पारित द्वारा अपर आयुकत रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 1217–अपील/12–13

गीता शर्मा पुत्री राम मनोहर शर्मा
निवासी गुढ चौराहा रीवा तहसील
हुजूर जिला रीवा म0प्र0

—— आवेदिका

विरूद्ध

1–अशोक कुमार तनय राम मनोहर शर्मा
निवासी पाण्डेन टोला रीवा तहसील
हुजूर जिला रीवा म0प्र0

2– श्रीमती माला शर्मा पत्नी शिवमूर्ति प्रसाद मिश्रा
पुत्री राम मनोहर शर्मा निवासी मोहल्ला पाण्डेन टोला
रीवा हाल पता ग्राम टिकुरी तहसील मनगंवा जिला
रीवा म0प0

—— अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री नीलग्रीव पाण्डे
एवं श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा
अनावेदकगण की ओर से श्री आर0एस0 सेंगर

आ दे श

(आज दिनांक 24.11.2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 1217/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 4–2–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम लोही में स्थित खसरा न0 36/0.579 है0, 235/0.154, 243/0.065, 244/0.178 व 246/0.259 हैक्टेयर राम मनोहर को भूमि प्राप्त हुई थी, जिस भूमि पर आवेदक एवं अनावेदक का समान हक व अधिकार है । आवेदिका ने दिनांक 3.5.2011 को तहसीलदार, सर्किल गिर्द, तहसील हुजूर, जिला रीवा को एक आवेदन पत्र धारा 115,116 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पंजी कमांक 3 निर्णय दिनांक 24.4.07 जो राम मनोहर के स्थान पर वारिसान अशोक कुमार के नाम नांमातरण किया गया है वह पटवारी हल्का से सांठगांठ कर किया गया है, जबकि राम मनोहर के वैध वारिसान दो पुत्रियां गीता शर्मा, माला शर्मा एवं अशोक कुमार पुत्र है। तहसीलदार द्वारा प्रकरण 239–अ–74/12–13 पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 29.6.13 को आवेदन यह कहते हुये खारिज किया कि पंजी में आवेदिका पक्षकार नहीं है और न ही किन्हीं अन्य पक्षकारों द्वारा पुनर्विलोकन चाहा गया है इससे दुखित होकर आवेदिका ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 4.7.13 को अपील आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जो प्रकरण कमांक 110/अ–74/12–13 पर दर्ज होकर दिनांक 30.7.13 को यह कहते हुये अपील स्वीकार की गई कि आवेदिका का अपने पिता के आराजियातों में 1/3 की हकदार है और हक पाने की हकदारी है । इससे दुखित होकर अनावेदकगण द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 1271/अपील/12–13 पर दर्ज होकर दिनांक 4.2.14 को आदेश पारित करते हुये अपील स्वीकार की गई , जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– निगरानी मेमों में उठाये गये बिन्दुओ पर उभय पक्ष के अभिभाषकगण के तर्क सुने तथा उभयपक्ष के अभिभाषकगण द्वारा अपनी अपनी लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई है, उसका भी बारीकी से मेरे द्वारा अवलोकन किया गया ।

4– आवेदक के अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि आवेदिका के पिता राम मनोहर शर्मा की मृत्यु के पश्चात वैध वारिस अशोक कुमार, गीता शर्मा एवं माला शर्मा थी लेकिन पटवारी हल्का से सांठ गांठ कर अकेले अशोक कुमार द्वारा अपना नाम नामांतरण पंजी पर प्रविष्टि करा ली गई है और दोनों सगी बहनों को जानबूझकर नामांतरण से वंचित किया गया है । आवेदिका द्वारा अपना नाम दर्ज करने हेतु सुधार करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया था जो तहसीलदार द्वारा दिनांक 29.6.13 को यह कहते हुये निरस्त कर कि आवेदिका चाहे तो अपीलीय न्यायालय में इसका निराकरण करावें और सुधार कराये जिससे आवेदका ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील इस आशय की प्रस्तुत की स्वर्गीय राम मनोहर की पुत्रियों का नाम राम मनोहर की संपत्ति में दर्ज नहीं है अकेले अशोक कुमार का नाम दर्ज है उसके साथ मेरा भी नाम दर्ज किया जावे । अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा द्वारा अपील स्वीकार कर अशोक कुमार के साथ आवेदिका एवं उसकी बहन का नाम सह भूमिस्वामी के रूप में पैत्रिक संपत्ति होने से दर्ज किये जाने का आदेश दिया । अनावेदक कमांक 1 ने आदेश की स्थिति में प्रकरण में लिखित तर्क दिनांक 22.9.15 को प्रस्तुत किया है और उसमें आवेदिका के उपर गंभीर आक्षेप लगाये है उक्त आक्षेप के विरोध में आवेदका की ओर से विधिवत आदेश 41 नियम 27 जाप्त दीवानी के आवेदन के साथ लिस्ट सहित कागजात दो लिस्टों में पृथक–पृथक मूलतः एवं छाया प्रति प्रस्तुत की गई । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में बताया गया है कि अनावेदक कमाक–1 आवेदिका का भाई है और आवेदिका को बिना सूचना दिये,

बिना बताये व पक्षकार बनाये बिना सजरा खानदान में मनमाने ढंग से गलत आधारों पर यह जानते हुये भी कि भूमि ग्राम लोही की है जहां उनका पुश्तैनी गांव है शहर के पार्षद से फर्जी तरीके से फर्जी सजरा पार्षद द्वारा तस्दीक कराया गया है । तहसीलदार द्वारा साक्षियों के प्रमाण लिये बिना ही राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा बिना इश्तहार प्रकाशन कराये बिना एवं मनमानी रूप से फर्जी हस्ताक्षर द्वारा इश्तहार की कार्यवाही का कोरम पूरा किया गया है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी बताया है कि आवेदिका के हस्ताक्षर का प्रश्न है तो उस समय आवेदिका स्वास्थ्य विभाग में नर्स के पद पर सेवा दे रही थी, वह एक पढ़ी लिखी सभ्य महिला है एवं उसने आज तक अंग्रेजी से ही अपने हस्ताक्षर सभी दस्तावेजों पर किये है जिसके प्रमाण स्वरूप लिस्ट के साथ प्रस्तुत कागजातों से आवेदिका के हस्ताक्षर को देख जा सकता है जहां तक बैंक अकाउंट एवं चैक बुक के हस्ताक्षर से मिलान कराया जा सकता है । आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनावेदक अधिवक्ता द्वारा विलंब के संदर्भ में बिन्दु उठाया है जबकि विधि का नियम है कि विलंब के आधार पर या म्याद अधिनियम की धारा 5 का सहारा लेकर किसी भी भूमिस्वामी या संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य को उसको उसके हक से वंचित नहीं किया जा सकता जिससे म्याद के आधार पर आवेदिका को हक से वंचित करना विधि मंशा के विपरीत है। अंत में उन्होंने निवेदन किया है कि आवेदिका का 1/3 हिस्से की भूमि पर उसका नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त कराये जाने एवं निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

5–अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदिका को नामांतरण पंजी कमांक–3 दिनांक 24.4.07 की जानकारी प्रारंभ से थी फिर उनके द्वारा प्रस्तुत निगरानी के पैरा 1 पेज नं0 2 नीचे से 14 वी लाईन में लिखा है कि अनावेदक कमांक–1 आवेदिका को उसके हक हिस्से का अनाज गल्ला संयुक्त रूप से खेती कराकर उपज आवेदिका के हिस्से का अनाज देता था । उन्होंने अपने तर्क में कहा है कि आवेदिका ने तहसीलदार, तहसील हुजूर, जिला रीवा के समक्ष धारा 115, 116 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत वर्ष 2013 में आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि मेरा नाम भी अशोक कुमार के साथ नामांतरण पंजी में जोड कर वारिसान रिकार्ड दुरूस्त किया जावे । तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.6.13 से आवेदिका का आवेदन निरस्त कर दिया कि यह 115, 116 की परिधि में नहीं आता । अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया है कि तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा का आदेश दिनांक 29.6.13 एवं नामांतरण पंजी कमांक–3 दिनांक 24.4.2007 दोनों आदेशों के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला रीवा के समक्ष अपील दिनांक 4.7.13 को प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 110/अ–74/12–13 अपील दर्ज की गई, वह अपील आवेदिका द्वारा 6 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई अपील के साथ विलंब क्षमा किये जाने हेतु आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की समय सीमा 30 दिवस है, विलंब के लिये प्रत्येक दिन का कारण स्पष्ट करना होता है । अनावेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि अनावेदक कमांक–1 अशोक कुमार के पक्ष में रजिस्टर्ड सहमति पत्र दिनांक 24.6.15 अनुसार अपने सभी भूमि संबंधी स्वत्व अनावेदक कमांक 1 अशोक कुमार के पक्ष में गीता शर्मा एवं माला शर्मा ने त्याग दिये है । अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि वर्षो पूर्व अपना धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म अपनाकर सारे रिश्ते नाते रीति रिवाजों से खुद को अलग कर दूसरा विवाह (निकाह) कर लिया था

उसी दिन से आवेदिका अपने सारे अधिकार जो पिता से संतानों को प्राप्त है समाप्त हो गये थे । वह अपनी पिता की वैध वारिसान नहीं रह गई ।

6– प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख एवं उभय पक्ष के अधिवक्तागण के तर्क पर विचार किया । मेरे मत में तहसीलदार द्वारा पहली त्रुटि यह की गई है कि उन्होंने सजरा खानदान जो पार्षद द्वारा जो तीसरे व्यक्ति के बताये अनुसार प्रस्तुत किया गया था, का समुचित परीक्षण नहीं किया, उसके संबंध में कोई साक्ष्य नहीं लिया, एवं राम मनोहर की दोनों पुत्रियों के नाम नहीं होने के बावजूद उसे स्वीकार कर लिया गया । इसके परिणामस्वरूप तहसीलदार ने दिनांक 24.4.07 को आदेश पारित करने के पूर्व समस्त आवश्यक पक्षकारों को न तो पक्षकार बनाया न ही सुनवाई का अवसर दिया । निगराकार के बताये अनुसार वर्ष 2011 तक चूंकि उसके भाई अशोक कुमार द्वारा उसे उनके पिता स्व0 राम मनोहर की भूमि पर उपजा अनाज का हिस्सा दिया जाता था, अतः तब तक निगराकार गीता शर्मा यह माना कि भूमि अभी राम मनोहर के वारिसों के संयुक्त स्वामित्व की ही है, जिस पर अशोक कुमार कर्ता की भूमिका निभा रहा है। जब वर्ष 2011 में अशोक कुमार ने निगराकार गीता शर्मा को उसके हिस्से का अनाज देना बन्द किया, तब गीता शर्मा के बताये अनुसार उसे राम मनोहर की भूमि अकेले अशोक कुमार के नाम नामांतरण होने की जानकारी हुई, जिसके उपरांत उन्होंने तहसीलदार के समक्ष 115, 116 का आवेदन लगाया । तहसीलदार ने इसे पुनर्विलोकन के रूप में लेते हुये यह कहते हुये निरस्त किया कि चूंकि गीता शर्मा मूल आदेश में पक्षकार नहीं थी, अतः पुनर्विलोकनका अधिकार नहीं है। चूंकि गीता शर्मा द्वारा तहसीलदार के समक्ष आवेदन भूल सुधार हेतु यह कहते हुये लगाया था कि दिनांक 24.4.07 के आदेश के पूर्व उनका नाम भूलवशः छूट गया है एवं वर्ष 2007 के प्रकरण में आवश्यक हितबद्ध पक्षकार होने के बावजूद न्यायालय ने उन्हें भूलवश पक्षकार नहीं बनाया, अतः तहसीलदार द्वारा दिनांक 29.6.13 के

आदेश में गीता शर्मा का आवेदन यह कहते हुये निरस्त कर देना कि वे मूल प्रकरण में जब पक्षकार नहीं थी तो उनके समक्ष आवेदन मानने योग्य नहीं है, उपयुक्त नहीं है। तहसीलदार के इस निर्णय में आवेदिका के मूल बिन्दु पर विचार ही नहीं किया गया, एवं उनके भूल सुधार के आवेदन को पुनरवलोकन का आवेदन पत्र मानते हुये प्रकरण समाप्त कर दिया गया । इसके प्रकाश में, मैं तहसीलदार का आदेश दिनांक 29.6.13 प्रथमदृष्ट्या स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ ।

7– तहसीलदार के निर्णय दिनांक 29.6.13 के उपरांत आवेदिका गीता शर्मा द्वारा दिनांक 4.7.13 को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें कोई विलंब नहीं पाया जाता है। अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने समक्ष के अपील प्रकरण में तहसीलदार के आदेश दिनांक 29.6.13 के संबंध में कोई विवेचना किये जाने में कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है।

जहां तक आदेश दिनांक 24.4.07 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील किये जाने का प्रश्न है, तो मैं इस संबंध में यह समझता हूँ कि इस आदेश का उल्लेख अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष के अपील आवेदन में करना आवेदिका की ओर से एक तकनीकी प्रकार की त्रुटि रही थी। आवेदिका दिनांक 29.4.07 के आदेश के विरूद्व, उस आदेश की जानकारी प्राप्त होने पर, तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 115, 116 में त्रुटि सुधार हेतु गई थी, जिससे अनुतोष नहीं मिल पाने के फलस्वरूप उन्हें अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर करनी पड़ी।

उपरोक्त के प्रकाश में अनुविभागीय के आदेश में विलंब मांफी पर विचार नहीं किये जाने एवं गुण दोष पर निर्णय लेने में मैं कोई त्रुटि अथवा अवैधानिकता नहीं पाता हूँ। यह अवश्य है कि अनुविभागीय अधिकारी को अपने आदेश में तहसीलदार का आदेश दिनांक 29.6.13 खारिज करने का यह आधार भी लेना चाहिये था, कि

उन्होंने (तहसीलदार ने) उनके समक्ष के प्रकरण को पुनरवलोकन प्रकरण माना जबकि वह भूल सुधार प्रकरण था, जिस पर उनके समक्ष वो अनुविभागीय अधिकारी ने विचार नहीं किया, किन्तु इसके बावजूद उपर बताये कारणों से मैं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश प्रथम दृष्ट्या स्थिर रखे जाने योग्य पाता हूँ ।

जहां तक अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता में वर्णित तामीली प्रकिया के विपरीत कार्यवाही कर आदेश पारित करने का प्रश्न है, तो इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश पत्रिका दिनांक 17.7.13 के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि अनावेदकगण नोटिस तामीली के उपरांत भी उनके समक्ष उपस्थित नहीं हुये, जिसके फलस्वरूप अनुविभागीय अधिकारी ने अभिलेख के आधार लेते हुये अपना निर्णय पारित किया ।

8– अपर आयुक्त रीवा ने अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर यह निष्कर्ष निकाला है कि दोनों आदशों की एक ही अपील में आदेश पारित किया है एवं पहले धारा –5 के आवेदन का निराकरण नहीं किया तथा अपील में आदेश कर दिया गया है । यह बिन्दु मानते हुये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की ।

9– अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.7.13 के द्वारा माना कि अपीलांट अपने आवेदन पत्र में अपने पिता की संपत्ति पर 1/3 हिस्से की मांग की गई है, और अपना हक पाने की अधिकारी भी है । अतः तहसीलदार द्वारा की गई वारिसान नामांतरण कार्यवाही विधि की मंशा के विपरीत है एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के अनुरूप नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं होने के कारण आवेदिका की अपील स्वीकार की जाकर दिनांक 24.4.07 किया गया नामांतरण निरस्त किया ।

10– उपरोक्त विवेचना के आधार पर मेरे द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण कमांक 1271/अपील/12–13 में पारित आदेश दिनांक 4.2.14 एवं तहसीलदार हुजूर जिला रीवा का प्रकरण कमांक 239/अ–74/12–13 में पारित आदेश दिनांक 29.6.13 एवं नामांतरण आदेश दिनांक 24.4.07 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला रीवा का प्रकरण कमांक 110/अ–74/12–13 में पारित आदेश दिनांक 30.7.13 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है । प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार हुजूर को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह सजरा खानदान में स्व0 राम मनोहर शर्मा के वारिसों की पूर्ण जानकारी मंगाकर एवं हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर नामांतरण की कार्यवाही करें ।

आशीष श्रीवास्तव
सदस्य
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर